राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं.एफ.2(6) डीओपी/ए-II/2021

जयपुर, दिनांकः 16.10.2024

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979 से संलग्न अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्यांक 5 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
"

5.	ड्राइवर	90% सीधी भर्ती द्वारा; और 10% हेल्परों/ क्लीनरों में से चयन द्वारा।	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा तथा विभागाध्यक्ष की अपेक्षानुसार हल्के या भारी परिवहन यान को चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखता हो और ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो और निम्नलिखित होना आवश्यक है- 1. चश्मे सहित या बिना चश्मे के दृष्टि 6X6; और 2.यान की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान तथा चालन की दक्षता, जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाना है।	-	-

"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(दिनेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव।

72/2024

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.II)

No.F.2(6) DOP/A-II/2021

Jaipur, dated: 16.10.2024

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of the India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Garage Subordinate Service Rules, 1979, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Garage Subordinate Service (Second Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule.- In Schedule appended to the Rajasthan Motor Garage Subordinate Service Rules, 1979, the existing serial number 5 and entries thereto shall be substituted by the following, namely: -

"

5.	Driver	90% by direct recruitment; and 10% by selection from helpers/ cleaners.	Secondary from a recognised Board or its equivalent examination and having valid license to drive a light or heavy transport vehicle as per requirement of the Head of Department and three years' experience as a Driver and must have,- 1. Sight 6X6 with or without glasses; and 2. Knowledge of road side repairs of vehicle and efficiency in driving to be examined through a trade test by the Appointing Authority .	-	-

"

By Order and in the name of the Governor,

(Dinesh Kumar Sharma)
Joint Secretary to the Government.

72/2024

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 30, मंगलवार, *शाके 1946*-अक्टूबर 22, *2024*	
	Asvina 30, Tuesday, Saka 1946- October 22, 2024	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 16, 2024

जी.एस.आर.65 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.– राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979 से संलग्न अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्यांक 5 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"

5.	ड्राइवर	90% सीधी भर्ती द्वारा; और 10% हेल्परों/ क्लीनरों में से चयन द्वारा।	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य परीक्षा तथा विभागाध्यक्ष की अपेक्षानुसार हल्के या भारी परिवहन यान को चलाने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखता हो और ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो और निम्नलिखित होना आवश्यक है- 1. चश्मे सहित या बिना चश्मे के दृष्टि 6X6; और 2. यान की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान तथा चालन की दक्षता, जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा	-	-

			व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाना है।		

"

[सं.एफ.2(6)डीओपी/ए–2/2021]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
दिनेश कुमार शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, October 16 2024

G.S.R.65 .- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of the India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Garage Subordinate Service Rules, 1979, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Garage Subordinate Service (Second Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule.- In Schedule appended to the Rajasthan Motor Garage Subordinate Service Rules, 1979, the existing serial number 5 and entries thereto shall be substituted by the following, namely: -

"

5.	Driver	90% by direct recruitment; and 10% by selection from helpers/ cleaners.	Secondary from a recognised Board or its equivalent examination and having valid license to drive a light or heavy transport vehicle as per requirement of the Head of Department and three years' experience as a Driver and must have,- 1. Sight 6X6 with or without glasses; and 2. Knowledge of road side repairs of vehicle and efficiency in driving to be examined through a trade test by the Appointing Authority.	-	

"

[No.F. 2(6)DOP/A-2/2021]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.